


**इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद****विकास प्राधिकरण की अम्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :**

श्री अंकुर रस्तोगी द्वारा प्रिमिरोस नं०-11/7ए वर्तमान नं०-11, 13/7ए/1 प्रप्लेट नं० 13 एवं 15/7ए/2 वर्तमान नं०-15 रावदार पटेल मार्ग, पार्ट आफ नजूल राईट नं०-46 उपविभाजित फ्री होल्ड गूडवुड सं० 46/7 सिविल स्टेशन, इलाहाबाद (क्षेत्रफल 975.09 वर्गमीटर) पर निर्मित व्यवसायिक भवन पर दिये गये उपरोक्त प्रमाण-पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवर अभियन्ता श्री अशोक कुमार गडक, अधिशासी अभियन्ता श्री आरटीओ राय तथा मुख्य नगर नियोजक श्री पी०के० सोलंकी द्वारा कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अद्यतन शमन मानचित्र क्रमांक 88/प्र०आ०-भवन/जोन-1/2014-15 दिनांक 06.12.2014 के अनुरूप सही पाया गया है। उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, अल्लापुर, इलाहाबाद, अधिशासी अभियन्ता-भूगर्भ जल विभाग खण्ड-प्रांतिक (सिंचाई विभाग) इलाहाबाद, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, इलाहाबाद तथा अर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए उपस्थित महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 06.12.2014 के क्रम में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। स्वीकृत मानचित्र में आरोपित छिरी भी शत का अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन करने की दशा में दी गयी अनुज्ञा स्वतः समाप्त नानी जायेगी। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अनापत्ति पत्र सं०-2014/3904/इला०/इलाहाबाद/7/सी०एफ०ओ० दिनांक 30.09.2014 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

**अभिलेख जो संज्ञान में लिये गये :-**

1. अधि०अभि०, भू०ज०वि०ख०-थी०  
न०सं० 463/भू०ज०वि०ख०-थी०  
दिनांक 30.09.2014
2. C.F.O. इलाहाबाद की अनापत्ति  
न०सं०-2014/3904/इला०/इलाहाबाद  
दिनांक 30.09.2014
3. उपनिदेशक वि.सु.उ०प्र० शासन,  
न०सं०-316/उ०नि०वि०सु०/ई०सी०/2014-15  
दिनांक 01.10.2014
4. अर्किटेक्ट/रद्वक्वस्त इन्जी० का प्रमाण पत्र।

हस्ताक्षर


पदनाम : जूनल अधिकारी/  
प्र०आ०(त०स०-2)कार्यालय की मुहर -प्रकारी अधिकारी -T.C.-2  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
इलाहाबाद

दिनांक : 06 जनवरी, 2015

पत्रांक : 88/प्र०आ०(त०स०-2)/C.C/2014-15

05 दिनांक : 06/01/2015

